सत्यमेव जयते
भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. Tour Programme/VC/16/2017/RU-III

6th floor, B Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market,
New Delhi-110003
Dated: 19st September, 2017

To,

1. The Chief Secretary,
Government of Madhya Pradesh,
Bhopal (Madhya Pradesh)

2. The Secretary,
SC & ST Welfare Department,
Govt. of Madhya Pradesh,
Bhopal, (Madhya Pradesh)

3. The Director General of Police,
Government of Madhya Pradesh
Bhopal (Madhya Pradesh)

4. Collector,
District-Chhindwara,
(Madhya Pradesh)

Sub: Tour Report of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) to visit District-Chhindwara (Madhya Pradesh) from 14th July, 2017 to 12th July, 2017.

Sir/Madam,

I am directed to enclose herewith copy of tour report of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, NCST to visit District-Chhindwara (Madhya Pradesh) from 14th July, 2017 to 17th July, 2017 for information and necessary action.

Yours faithfully,

(S.P. Meena)
Assistant Director

Copy for information and necessary action to:

1. The Research Officer, National Commission for Scheduled Tribes, Regional Office Bhopal, Room No.309, Nirman Sadan, CGO Building, 52-A, Area Hills, Bhopal-462011(Madhya Pradesh)

2. NIC, NCST uploaded on the web site.

-: : TOUR - REPORT DATED 14/07/2017 TO 17/07/2017 : :-

{DISTRICT CHHINDWARA MP & NAGPUR M.S.} जिला छिन्दवाडा म.प्र. एवं नागपुर महाराष्ट्र

सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

** *** **** *** **

सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार द्वारा आयोग मुख्यालय के बेतार संदेश संख्या – TP/VC/NCST/2017/19A दिनाँक 12/07/2017 के अनुसार दिनाँक 14 जुलाई 2017 से 17 जुलाई 2017 तक जिला छिन्दवाडा (मध्यप्रदेश) एवं नागपुर (महाराष्ट्र) का प्रवास किया गया।

आयोग मुख्यालय द्वारा प्रवास की विधिवत सूचना मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, संबंधित जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक तथा आयोग के मध्यप्रदेश स्थित भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक निदेशक एवं अन्य सर्व संबंधितों को दी गई।

इस प्रवास में मुख्य रूप से

- **सौंसर जिला छिन्दवाड़ा में अल्पावधि महिला निवास गृह (स्वधार) सौंसर जिला छिन्दवाड़ा का भ्रमण,**
- **CENTRE FOR ADVANCED RESEARCH & DEVLOPMENT द्वारा संचालित किये जाने वाले कौशल विकास केन्द्र, परासिया रोड, छिन्दवाड़ा का लोकार्पण / शुभारंभ कार्यक्रम,**
- **नागपुर महाराष्ट्र में ट्रायबल अफिसर्स फोरम, नागपुर महाराष्ट्र द्वारा आयोजित मेधावी छात्र-छात्रओं के सम्मान समारोह में,**

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

दिनाँक 14/07/2017 - FRIDAY

1) दिनाँक 14 जुलाई 2017 को प्रातः वायुमार्ग से दिल्ली से प्रस्थान कर नागपुर आगमन। तदुपरांत नागपुर से छिन्दवाडा के लिये प्रस्थान।

2) सौंसर बेलगाँव मार्ग पर स्थित **"मनोहर धाम"** अल्पावधि महिला निवास गृह (स्वधार) की रसोईघर, आवास कक्ष, नेपकिन कर्मशाला, सम्पूर्ण परिसर, का भ्रमण / निरीक्षण किया गया एवं निवासरत महिलाओं से मिलकर चर्चा कर उनकी स्थिति, समस्याओं का जायजा लिया।

3)

(अल्पावधि महिला निवास गृह (स्वधार) में महिलाओं सेचर्चा करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके उपाध्यक्ष)

4) निवास गृह में संचालक, **श्री रामराव महाले जी, डॉं अनूप आश्रम व्यवस्थापक**, अधीक्षक, निवासरत महिलाओं, अन्य कर्मचारियों एवं संस्था के पदाधिकारियों द्वारा पुष्पाहार द्वारा औपचारिक स्वागत किया गया।

5) अल्पावधि महिला निवासगृह में संस्था के संचालक श्री रामराव जी महाले गुरुजी, जो कि वरिष्ठ समाजसेवी एवं क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, द्वारा अवगत कराया गया कि यह संस्था भारतीय आदिम जाति सेवक संघ नई दिल्ली की शाखा है। संस्था विगत 17-18 वर्षो से अनवरत संचालित की जा रही है।

6) इस केन्द्र में पुलिस, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग से ऐसी महिलाओं को सुरक्षित सरंक्षण में भेजा जाता है जो कि परित्यक्ता, यौन उत्पीड़न, जिन्हें उनके परिवार

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

पालने में सक्षम नहीं होते या माता पिता या पालक नहीं रहते या लावारिस हो जाते हैं उन्हें भेजा जाता है।

7) इस प्रकार का केन्द्र जिले में एकमात्र है और आसपास के जिलों में नहीं है। वर्तमान में इस केन्द्र में 35 महिलाएँ हैं जो कि केन्द्र की क्षमता से अधिक है और उक्त विभिन्न विभागों द्वारा समय समय पर भेजी गई हैं किन्तु इनके पुनर्वास या समस्या के समाधान हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया है जिसकी वजह से संस्था में संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है एवं बढ़ती संख्या के मान से उसके संसाधन कम पड़ रहे हैं जिसकी वजह से संस्था का संचालन करना मुश्किल होता जा रहा है।

8) संस्था एवं केन्द्र का प्रयास होता है कि निवासगृह में भेजी जाने वाली महिलाओं के पुर्नवास के प्रयास, विवाह, शिक्षा की व्यवस्था की जाती है।

9) इस केन्द्र में महिलाओं को स्वालंबी बनाने के लिये और भविष्य में अपना जीवन यापन के लिये आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के दृष्टिकोण से प्रशिक्षित भी किया जाता है। इसके लिये संस्था में सेनेटरी नेपकिन का निर्माण करने की इकाई है जो कि कार्यरत है, किन्तु इसमें सबसे बड़ी समस्या विपणन की है। बाजार में बड़ी कम्पनियों के उत्पाद ही बिकते हैं। शासकीय खरीदी में भी इस संस्था के उत्पाद को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है।

10) यदि शासकीय विभागों द्वारा क्रय की जानी वाली सामग्री में इस केन्द्र द्वारा निर्मित नेपकिन का क्रय किया जाता है तो इससे केन्द्र को आर्थिक मदद के साथ ही साथ निवासरत महिलाओं को लाभ हो सकता है। इस ओर शासन स्तर से प्रयास किये जाने की आवश्यकता है, तदानुसार आयोग की ओर से अनुशंसा की जाती है।

11) संचालक द्वारा लिखित एवं मौखिक अवगत कराया गया कि केन्द्र का संचालन समाज कल्याण बोर्ड भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त अनुदान से किया जाता है किन्तु विगत दो वर्षो से **समाज कल्याण बोर्ड भारत सरकार एवं महिला सशक्तिकरण विभाग भोपाल** से अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है जिसकी वजह से अब केन्द्र का संचालन स्वंय के साधनों से संभव नहीं हो पा रहा है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

12) उक्त परिपेक्ष्य में केन्द्र की प्रगति एवं सराहनीय कार्यो को देखते हुए केन्द्र को प्राप्त होने वाले अनुदान को शीघ्र मुक्त करने की अनुशंसा की जाती है, शीघ्र कार्यवाही अपेक्षित है।

13) संचालक एवं अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ युवा महिलाओं जो कि कालेज में अध्ययन करती हैं उन्हें उनके माता पिता नहीं होने या शराबी होने या विभिन्न वजह से सुरक्षित रखने के लिये भेजा गया उन्हें संस्था द्वारा अपने अत्याधिक सीमित आर्थिक साधनों से पढ़ा रही है जो कि संभव नहीं हो पा रहा है। महाविद्यालय द्वारा शिक्षा की फीस ली जा रही है जिसे कि अन्य आरक्षित वर्ग के बच्चों के समान शिष्यवृत्ति मिलना चाहिए या शुल्क माफ किया जाना चाहिए।

14) संचालक का यह तर्क उपयुक्त प्रतीत होता है। अतएव आयोग से इस संबंध में समुचित कार्यवाही करते हुए फीस माफी या शिष्यवृत्ति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

15) मेरे द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं आश्रम आवास गृह में निवासरत महिलाओं को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार की कार्यप्रणाली गतिविधियों, आयोग द्वारा किये जाने वाले कार्यो का विस्तार से मार्गदशित किया गया। साथ ही महिलाओं को समाज में उनके अधिकार प्राप्त करने, न्याय प्राप्त करने, के लिये जागरूक होकर सतर्क रहते हुए अपना जीवन यापन करने के लिये प्रेरित किया गया।

16) अल्पावधि महिला निवास गृह (स्वधार) में निवासरत छात्राओं कुमारी सविता, सुमित्रा नोरेती, कविता आदि छात्राओं के छिन्दवाड़ा महाविद्यालय में प्रवेश के लिये प्राचार्य स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिन्दवाड़ा के प्राचार्य श्री जैन, राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय छिन्दवाड़ा तथा सहायक आयुक्त, जनजाति कल्याण विभाग छिन्दवाड़ा से दूरभाष पर चर्चा कर प्रवेश दिलाने के लिये निर्देशित किया गया।

17) श्रीमती दुलरिया बाई निवासी बुर्रीकला वर्तमान निवास अल्पावधि महिला निवास गृह (स्वधार) सौंसर जिला छिन्दवाड़ा दृष्टिबाधित आदिवासी महिला है जो कि सामाजिक न्याय विभाग के अनुरोध पर अल्पावधि महिला निवास गृह (स्वधार) सौंसर जिला छिन्दवाड़ा में आवेदक दिनॉंक 23 जून 2015 से निवासरत है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

18) उल्लेखित है कि इस बेसहारा महिला को विवाह का झाँसा देकर श्री राजकुमार भलावी निवासी बुर्रीकला तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा द्वारा अपने घर में रखकर एक वर्ष तक शारीरिक एवं मानसिक शोषण किया गया तथा वर्ष 2015 में उसे घर से निकाल दिया गया जिसके परिणामस्वरूप उसे उक्त केन्द्र में अस्थाई रूप से रखा गया किन्तु उसके भी दो वर्ष हो चुके हैं किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

19) उल्लेखित है कि उक्त आदिवासी महिला दृष्टिबाधित है और असहाय, बेसहारा है जिसका पुर्नवास होना तथा न्याय मिलना अति आवश्यक है।

20) इस प्रकरण में नियमानुसार तत्काल समुचित कार्यवाही करने के साथ ही साथ इस महिला के निवास की समुचित व्यवस्था अन्यत्र जहाँ दृष्टिबाधित को रखा जा सके किया जाना तत्काल आवश्यक है, तदानुसार कार्यवाही की अनुशंसा संबंधित विभागों से की जाती है।

21)

(श्रीमती दुलरिया एवं अन्य निवासरत महिलाओं से चर्चा करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके)

22) इस संबंध में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक छिन्दवाडा को पृथक से पत्राचार भी किया गया है यथाशीघ्र कार्यवाही अपेक्षित है।

23) वन विश्रामगृह सौंसर जिला छिन्दवाड़ा जनजाति वर्ग के प्रतिनिधियों, आम नागरिकों जन प्रतिनिधियों से मुलाकात की गई। क्षेत्रीय विधायक श्री नाना भाऊ मोहोड़, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री डी एन सिंह, जनजाति प्रतिनिधि श्री मोरेश्वर मर्सकोले, श्री सतीश बोडखे श्री दर्शन झाडे, श्री गोपाल धोटे, श्री सुरेश तरारे, श्रीमती ऊषा बम्होरे, श्रीमती किरण

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

बत्रा, श्रीमती जायसवाल, इत्यादि विभिन्न जन प्रतिनिधियों ने भेंट कर स्थानीय समस्याओं गतिविधियों से अवगत कराया।

24) प्रतिनिधियों ने गोंडेरा अहीर जाति के प्रमाणपत्र जारी नहीं होने की समस्या से अवगत कराते हुए इसका समाधान कराने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में आयोग से तथा पत्राचार के माध्यम से पृथक से पूर्व में प्राप्त पत्रों के परिपेक्ष्य में लिखा गया है किन्तु कार्यवाही अपेक्षित है। आयोग स्तर से स्मरण पत्र और अनुशरण किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

दिनाँक 15/07/2017 - SATURDAY

25) CENTRE FOR ADVANCED RESEARCH & DEVLOPMENT द्वारा संचालित किये जाने वाले कौशल विकास केन्द्र, परासिया रोड, छिन्दवाड़ा का लोकार्पण / शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लिया गया इस अवसर पर जिले के सांसद श्री कमलनाथ, पूर्व मंत्री भारत सरकार, संस्था के पदाधिकारी उपस्थित हुए।

26) कार्यक्रम में पहुँचने पर संस्था के संचालकों श्री हितेश गोसांई ने पुष्पगुच्छ से औपचारिक स्वागत किया गया। इसके उपरांत मंच के कार्यक्रम आयोजित किये गये। प्रशिक्षण केन्द्र का शुभारंभ दीप प्रज्जवलन कर किया गया।

27)

(प्रधानमंत्री कौशल विकासकेन्द्र, छिन्दवाडा के लोकर्पण – शुभारंभ के अवसर पर सुश्री अनुसुईया उइके)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

28) यह केन्द्र माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार की योजना “प्रधानमंत्री कौशल विकास” के तहत प्रारंभ किया गया है। इसमें मेसन जनरल, डेटा एन्ट्री आपरेटर, सिक्यूरिटी गार्ड, असिस्टेन्ट इलेक्ट्रीशियन, नर्सिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है।

29) मेरे द्वारा सम्पूर्ण केन्द्र के कक्षों का और उनमें उपलब्ध सुविधाओं, प्रशिक्षण की गतिविधियों, की जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही वर्तमान में प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों से चर्चा भी की गई।

30) अपने उदबोधन में कहा कि तकनीकी ज्ञान के अभाव में युवाओं को बैंक से लोन प्राप्त करने एवं अपना स्वरोजगार स्थापित करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। दूर दराज के युवाओं को इस तरह के प्रशिक्षण प्राप्त करना कठिन होता था और अब इस तरह के प्रशिक्षण से देश का युवा वर्ग अपना भविष्य संवार सकेगें।

31) इस प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र सभी विकासखण्ड स्तर पर विशेष रुपसे आदिवासी क्षेत्रों में शीघ्र प्रारंभ होने चाहिए और इनमें ग्रामीण क्षेत्र की गतिविधियों को जैसे बढ़ईगिरी, वाहन चालक, मशीनरी मरम्मत, फैब्रीकेशन, मोटर वाईडिंग, इत्यादि का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए।

32)

(प्रधानमंत्री कौशल विकासकेन्द्र, छिन्दवाडा के लोकर्पण - शुभारंभ के अवसर पर दीप प्रज्जवलित करते एवं उदबोधन देते हुए सुश्री अनुसुईया उइके)

33) विश्रामभवन छिन्दवाड़ा जन-प्रतिनिधियों, जन-जाति प्रतिनिधियों, आमजनों से चर्चा की गई उनकी समस्या सुनकर उनका निराकरण करने का प्रयास किया गया। सर्किट हाउस में मिलने वालों में श्री रामराव जी महाले, श्री मोरेश्वर जी मर्सकोले, श्री विजय कुशरे जी,

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

पत्रकार गोंडवाना समय, इत्यादि ने मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर चर्चा कर समाधान का अनुरोध किया गया।

34) अतिरिक्त कलेक्टर श्री आलोक श्रीवास्तव ने भी मुलाकात कर प्रकरणों के संबंध में जानकारियाँ प्रदान की। इसी प्रकार से रेलवे के सहायक संभागीय प्रबंधक श्री अहिरवार ने मिलकर छिन्दवाड़ा नागपुर रेलवे लाईन तथा माडल स्टेशन छिन्दवाड़ा के कार्यो की प्रगति से अवगत कराया गया।

दिनाँक 16/07/2017 - SUNDAY

35) निर्धारित कार्यक्रम एवं समय पर छिन्दवाड़ा से नागपुर प्रस्थान कर रविभवन में अल्प विश्राम के दौरान **श्रीमती मायाताई इवनाते, सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,** भारत सरकार, श्री कुमरे, श्री कांबले, श्री चव्हाण श्री नीलेश भगत एवं ट्रायबल आफिसर फोरम के अन्य पदाधिकारियों से भेंट कर उनके सुझाव एवं समस्याएँ सुनी गई साथ ही प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई।

36)

(नागपुर में रविभवन में जनजाति प्रतिनिधियों से भेंट करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके)

37) निर्धारित समय पर डॉ.बाबा साहेब आंबेडकर, न्यू आडिटोरियम हाल, दीक्षाभूमि नागपुर में पहुँचकर ट्रायबल आफिसर फोरम द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लिया गया। इस अवसर पर श्रीमती मायाताई इवने, सदस्य, श्री आर.डी. आत्राम, श्री एन.जेड. कुमार, श्री नरेन्द्र पोयाम, श्री एम.एम.आत्राम, श्री जैराम खोब्रागडे, श्री मोरेश्वर आत्राम, श्री

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

वी.के.गावराने, अन्य प्रतिनिधि बड़ी संख्या में ट्रायबल्स के सदस्य लगभग 1000 व्यक्ति उपस्थित थे।

38) कार्यक्रम में संस्था प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित आगंतुकों को पुष्पाहार शाल एवं श्रीफल से स्वागत किया गया। संस्था के उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया। अवगत कराया गया कि इस कार्यक्रम में उन आदिवासी बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने 10वी, 12वीं, एवं उच्चशिक्षा में उच्चतर योग्यता हासिल की है उन्हें सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया है।

39) इसी प्रकार से समाज के उन व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज सेवा, कला, खेल, शिक्षा, व्यवसाय के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। ऐसे प्रोत्साहन से बच्चों एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों के आगे बढ़ने का हौसला प्राप्त होता है।

40) ट्रायबल आफिसर फोरम के प्रमुख वक्ताओं द्वारा जागरूकता, ट्रायबल की समस्याओं, ट्रायबल के लिये शासन के प्रावधान की विस्तार से जानकारियों प्रदान की गई।

41) इस अवसर पर मैंने अपने उदबोधन में अनुसूचित जनजाति आयोग की कार्यप्रणाली, के संबंध में विस्तार से जनजाति प्रतिनिधियों एवं उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराते हुए अपने अधिकारों का हनन होने पर आयोग के समक्ष अपनी बात रखने के संबंध में विधि प्रक्रिया से अवगत कराते हुए, कुछ प्रमुख समस्याएँ जो कि आयोग के समक्ष विचाराधीन है उनके माध्यम से उदाहरणों के साथ समझाईश दी गई।

42) मैंने महसूस किया है कि भारतीय संविधान में आदिवासियों के उत्थान तथा मुख्यधारा में शामिल करने के उद्देश्य से विशेष प्रावधान किये गये हैं किन्तु उसका वास्तविक लाभ उसे नहीं मिलता है। इसके हमें स्वंय जागरूक होने की आवश्यकता है। शासकीय विभागों में नियमानुसार रोस्टर का संधारण, बैकलाग भर्ती, पदोन्नति के लिये प्रावधान हैं, शासन इसके लिये निरंतर मानिटरिंग करता है किन्तु ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसके लिये हम सभी को स्वंय जागरूक होकर अपने अधिकार संविधान एवं व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त करना चाहिए।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

43) प्रताड़ित होने वाले एट्रोसिटी एक्ट की धाराएँ लगाई गई हैं या नहीं यह हम स्वंय भी देखें और अधिकारियों से अनुरोध कर धाराएँ लगवानी चाहिए। इसी प्रकार से कई फर्जी व्यक्तियों द्वारा गलतढंग से आदिवासी होने का प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है उन्हें उजागर करना हमारा कर्त्तव्य हैं ताकि वास्तविक को इसका लाभ मिल सके।

44) उपस्थित प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि आयोग में आदिवासियों की भूमि के गलत तरीके से बिक्रय, उनके नाम पर जमीन का क्रय कर दोहन करने, शासकीय सेवा में नियमानुसार लाभ नहीं देने, आदिवासियों को प्रताड़ित करने जैसे मामले विशेष रूप से प्राप्त होते हैं जिन पर आयोग समुचित कार्यवाही करता है।

45)

(ट्रायबल आफिसर फोरम के मंच पर सम्मान एवं उपस्थिति जन समुदाय - में सुश्री अनुसुईया उइके)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

46)

(ट्रायबल के प्रतिभावान बच्चों तथा प्रतिनिधियों के साथ सुश्री अनुसुईया उइके)

47) संध्या के समय रविभवन में प्रमुख जनप्रतिनिधियों ने एक साथ भेंटकर विभिन्न विसंगति, कमियों से अवगत कराया जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

A. मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र में कुछ जनजाति हैं जिनके नाम भारत सरकार की सूची में छूट गये हैं जिनका सर्वे करवाकर सूची का पुनः प्रकाशन किये जाने की आवश्यकता है।

B. कई व्यक्ति आदिवासी नहीं हैं किन्तु उनके द्वारा फर्जी रूप से आदिवासी होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर आदिवासी का लाभ लेकर वास्तविक आदिवासियों को उनके हक से वंचित कर रहे हैं।

C. महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति धाँगड़ का भाषाई बोलचाल में धनगर हो गया है जिसकी वजह से धनगर आदिवासी होकर भी आरक्षण का लाभ नहीं ले पाते हैं, सूची का परीक्षण एवं संशोधन किया जावे।

D. स्वतंत्रता के समय महाराष्ट्र में 8 ट्रायबल जाति मिनोरिटी होकर मूल आदिवासी थे किन्तु बाद में संशोधन में 1956 में ट्रायबल सबकास्ट को शामिल किया गया जिसमें

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कुछ गोंड जो ठाकुर लिखते थे उनके साथ साथ अन्य सवर्ण जो ठाकुर लिखते थे वे भी ट्रायबल होकर लाभ ले रहे हैं।

E. माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अनुसूचित जाति वर्ग के लिये फैसला आया है जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का बनकर लाभ लेता है और बाद में जब कभी भी उसका प्रमाणपत्र अवैध पाया जाता है तो उसके द्वारा लिये गये सभी लाभ तब से वापिस लिये जायेगें जब से उसने वह लाभ अवैध रूप से प्राप्त किया है। इस प्रकार की गार्यवाही अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये भी होनी चाहिए।

F. समाज कल्याण विभाग द्वारा जिन वर्गो को अनुदान, छात्रवृत्ति दी जाती है उसमें आय का बंधन नहीं है किन्तु अनुसूचित जनजाति वर्ग के मेधावी बच्चों को राशि/शिष्यवृत्ति प्रदान करने में आय का बंधन रखा गया है उसे समाप्त किया जाना चाहिए।

G. महाराष्ट्र में जाति प्रमाणपत्र के संबंध में महाविद्यालय, शासकीय विभागों इत्यादि में वैलीडिटी की मांग की जाती है। इसका व्यापक परीक्षण करवाकर समुचित स्पष्ट निर्देश प्रसारित करने की आवश्यकता है।

H. मुम्बई में विगत 70 से 80 वर्षो से निवासरत आदिवासियों को नोटिस जारी कर भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है।

I. मन्नेवार (मराठ्वाडा) तथा कोलाम (आन्ध्रप्रदेश) से राज्य पुर्नगठन के समय महाराष्ट्र में शामिल किये गये थे। उस समय इन जाति के लोग अनुसूचित जनजाति में थे किन्तु बाद में उक्त प्रदेश ने इन जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटा दिया है किन्तु महाराष्ट्र में शामिल है। ऐसे करीब 10000 व्यक्ति हैं जो इसका लाभ ले रहे हैं इनके पास वैलिडिटी है। चूँकि आन्धप्रदेश में इन्हे सूची से हटा दिया गया है इसलिये महाराष्ट्र में भी हटाया जाना चाहिए।

J. महाराष्ट्र में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आदिवासी विभाग कार्य करता है। इसलिये समाज कल्याण विभाग द्वारा जो निर्देश जारी किये जाते हैं वे सभी जातियों के लिये सामान्य होते हैं जबकि आदिवासियों की समस्याएँ एवं परिस्थिति अलग होती है। जो नियम अन्य वर्ग के लिये उपयुक्त होते हैं वही नियम आदिवासियों के लिये अलग

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

होत हैं। इसलिये आदिवासी विभाग का प्रथक से गठन होना चाहिए और उसके नियम भी उन्हीं की परिस्थितियों के मान से निर्धारित होने चाहिए।

ट्रायबल आफिसर फोरम एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की प्रमुख मांगों पर कार्यवाही

i. उक्त सभी तथ्यों को प्रतिनिधियों द्वारा केवल मौखिक रूप से अवगत कराया गया है जिससे सम्पूर्ण तथ्य एवं जानकारी स्पष्ट नहीं होते हैं। इसलिये उन्हें सूचित किया गया कि वे उक्त सभी तथ्य लिखित में, दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करें तदानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जा सके।

ii. साथ ही आयोग स्तर से राज्य शासन के माध्यम से उक्त तथ्यों का परीक्षण कर प्रतिवेदन मँगाया जावे

दिनाँक 17/07/2017 - MONDAY

48) निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रातः की फलाईट से दिल्ली के लिये प्रस्थान। प्रवास संपन्न।

49) **प्रवास के प्रमुख तथ्य एवं अनुशंसाएँ**

1) अल्पावधि महिला निवास गृह (स्वधार) सौंसर जैसी केन्द्रों में भेजी जाने वाली सभी महिलाओं के पुर्नवास की उपयुक्त व्यवस्था एवं नीति की अनुशंसा की जाती।

2) उक्त प्रकार के केन्द्रों द्वारा यदि किसी प्रकार के उत्पाद निर्मित किये जाते हैं तो उनकी खरीदी शासकीय विभागों में किये जाने चाहिए। इस हेतु निर्देश दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

3) अल्पावधि महिला निवास गृह (स्वधार) सौंसर के जो अनुदान लंवित हैं उन्हें तत्काल जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

4) ऐसे सभी केन्द्रों में निवासरत महिलाएँ जो अध्ययनरत हों, चाहे वे किसी भी वर्ग की हो उनकी फीस माफ की जानी चाहिए और छात्रावासों में निवास की व्यवस्था हो, तदानुसार अनुशंसा की जाती है।

5) श्रीमती दुलरिया बाई निवासी बुर्रीकला वर्तमान निवास अल्पावधि महिला निवास गृह (स्वधार) सौंसर जिला छिन्दवाड़ा दृष्टिबाधित आदिवासी महिला पुर्नवास होना

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

तथा न्याय मिलना अति आवश्यक है। संबंधित विभागों से शीघ्र कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है।

6) गोंडेरा अहीर जाति के प्रमाणपत्र जारी नहीं होने की समस्या का उल्लेख बार बार प्रवासों में प्राप्त हो रहा है। इस संबंध में मुख्य सचिव मध्यप्रदेश को पूर्व में पत्राचार किया गया है किन्तु अपेक्षित कार्यवाही या जबाव नहीं प्राप्त हुआ है। आयोग स्तर से अग्रिम कार्यवाही की जावे।

7) प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में प्रत्येक विकासखण्ड़ों में की जानी चाहिए और इनमें कोर्स भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, अनुशंसा की जाती है।

8) ट्रायबल आफिसर फोरम नागपुर द्वारा बिन्दुक्रमांक 47 में बताए गये उपबिन्दु **A to J** के संबंध में समुचित कार्यवाही की जावे। इनके आधार पर राज्य शासन से प्रतिवेदन मंगाया जावे।

सुश्री अनुसुईया उइके

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi